

(TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3(ii) OF THE GAZETTE OF INDIA)
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 22nd November, 1999

NOTIFICATION

S. No. It is notified for general information that enterprise/industrial undertaking, listed at para (3) below has been approved by the Central Government for the purpose of section 10(23G) of the Income-tax Act, 1961, read with rule 2E of the Income-tax Rules, 1962, for the assessment years 2000-2001, 2001-2002 and 2002-2003.

2. The approval is subject to the condition that –

- (i) the enterprise/industrial undertaking will conform to and comply with the provisions of section 10(23G) of the Income-tax Act, 1961, read with rule 2E of the Income-tax Rules, 1962;
- (ii) the Central Government shall withdraw this approval if the enterprise/industrial undertaking:-
 - (a) ceases to carry on infrastructure facility; or
 - (b) fails to maintain books of account and get such accounts audited by an accountant as required by sub-rule (7) of rule 2E of the Income-tax Rules, 1962; or
 - (c) fails to furnish the audit report as required by sub-rule (7) of rule 2E of the Income-tax Rules, 1962.

3. The enterprise/industrial undertaking approved is –

- i) 447 MW Conventional Combined Cycle Power Plant at Patalganga, Distt, Raigad, Maharashtra of M/s Reliance Patalganga Power Limited, Shree Ram Mills Premises, 3rd Floor, Ganpatrao Kadam Marg, Worli, Mumbai-420013.


(KAMLESH C. VARSHNEY)

Under Secretary to the Govt. of India

Notification No. 1113C

(F.No 205/172/99 – ITA-II)

To

The Manager,
Govt. of India Press,
Mayapuri, New Delhi.

Copy to:

1. The applicant
2. All CCsIT and DGsIT
3. C & AG of India
4. Joint Secretary and Legal Advisor, Ministry of Law, New Delhi.
5. Addl. Secretary (Admn.), Deptt. of Revenue, New Delhi.
6. DIT (RSP&PR) (Bulletin Section), New Delhi.
7. Ministry of Power, New Delhi


(KAMLESH C. VARSHNEY)
Under Secretary to the Govt. of India.

॥ भारत के राजपत्र भाग ॥, खण्ड ३॥ ॥॥ में प्रकाशनार्थ॥

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक २१ नवंबर, १९

अधिसूचना

क्रमांक सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि आयकर नियमावली, १९६२ के नियम २६ के साथ पठित आयकर अधिनियम १९६१ की धारा १०॥ २३-छ॥ के प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार द्वारा निम्न पैरा ॥ ३॥ में सूचिबद्ध उद्यम/औद्योगिक उपक्रम को कर निर्धारण वर्ष २०००-२००१ २००१-२००२ और २००२-२००३ के लिए अनुमोदित करती है।

२. उक्त अनुमोदन इस शर्त पर किया जाता है कि-

॥ १॥ उक्त उद्यम/औद्योगिक उपक्रम आयकर नियमावली, १९६२ के नियम २६ के साथ पठित आयकर अधिनियम, १९६१ की धारा १०॥ २३-छ॥ के उपबंधों के अनुरूप हो और उनका अनुपालन करे;

॥ २॥ केन्द्र सरकार यह अनुमोदन वापस ले लेगी यदि उक्त उद्यम/औद्योगिक उपक्रम:-

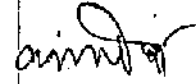
॥ क॥ आधारभूत सुविधा को जारी रखना बन्द कर देता है; अथवा

॥ ख॥ बड़ी छातों को रखने और आयकर नियमावली, १९६२ के नियम २६ के उपनियम ॥ ७॥ द्वारा यथा-अपेक्षित ऐसे छाते की किसी लेखकार द्वारा लेखा परीक्षा कराने में असफल रहता है; अथवा

॥ ग॥ आयकर नियमावली, १९६२ के नियम २६ के उपनियम ॥ ७॥ द्वारा यथा अपेक्षित लेखा-परीक्षा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहता है।

13. अनुमोदित अधम/औद्योगिक उपक्रम निम्नानुसार है:-

॥ १॥ मैसर्स रिक्लाइन्स पाटलगंगा पॉवर लि०, श्रीराम मिल्स परिसर-
तृतीय तल, गणपतराव कदम मार्ग, वर्ली, मुम्बई-420013 का,
447 मेगावाट कन्वेंशनल कम्बाइन्ड साइकिल पॉवर प्लांट,
पाटल गंगा, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र ।



॥ कमलेश सी० वाष्णय ॥

अवर सचिव, भारत सरकार

अधिसूचना सं० ॥ १३८ ॥ फा० सं० 205/172/99-आयकर नि०-॥ १॥
सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार प्रेस,

मायापुरी, नई दिल्ली ।

प्रतिलिपि, अंग्रेजी पाठानुसार प्रेषित